संख्या–1717 /XV-1/13/1(4)/12

प्रेषक,

डा० रणवीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 07 दिसम्बर अक्टूबर, 2013

विषयः **बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौपालन राज्य सैक्टर नई योजनान्तर्गत** पशुपालक लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1081/नि०–5/एक(26)/आ०व्य०/2013–14 दिनांक 01 जून, 2013 के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु आकर्षित करने के उद्धेश्य से **बकरी पालन/भेड़ पालन एवं गौ पालन की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है**, जिसमें बकरी पालन/भेड़ पालन योजनान्तर्गत 10 मादा एवं 01 नर तथा गौ पालन योजनान्तर्गत चतुर्थ व्यात या इससे कम व्यात की दुधारू गाय उपलब्ध करायी जायेगी। इच्छुक पशुपालक से प्रति इकाई की कुल लागत का 10 प्रतिशत अंश लिया जायेगा तथा 90 प्रतिशत अंश विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रकार अधिक लाभार्थियों को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा। योजना निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रति इकाई कुल लागत	सरकार का अंश	लाभार्थी अंश	कुल इकाइयाँ	
					अनु० जाति	अनु० जनजाति
1.	बकरी पालन	70000	63000	7000	74	06
2.	भेड़ पालन	70000	63000	7000	39	04
3.	गौ पालन	40000	36000	4000	376	40

2. बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौपालन योजना के सफल संचालन हेतु लाभार्थियों के चयन, चयन प्रक्रिया, पशु क्रय, क्रय समिति, पशु बीमा, प्रति इकाई लागत निम्नानुसार निर्धारित होगी :–

(अ) लाभार्थियों के चयन हेतु विकास खण्ड स्तरीय समिति :–

1. जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि
2. पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1
3. खण्ड विकास अधिकारी/उनके द्वारा नामित सहायक खण्ड विकास अधिकारी

(ब) लाभार्थियों के चयन हेतु ग्राम स्तरीय चयन समिति :–

1. संबंधित क्षेत्र के पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1/ग्रेड–2
2. संबंधित क्षेत्र का पशुधन प्रसार अधिकारी
3. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

(स) चयन की प्रक्रिया :–

संबंधित ग्राम के अनुसूचित जाति/जनजाति के बी०पी०एल० परिवार के व्यक्तियों का ग्राम स्तरीय चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा। ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया महिला हो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। पशुधन प्रसार अधिकारी ग्राम में चयन हेतु बैठक की निर्धारित तिथि/समय का व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे। निर्धारित तिथि को ग्राम में ग्राम स्तरीय चयन समिति की बैठक करके लाभार्थियों का चयन किया जायेगा व सूची संबंधित पशु चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी। विकास खण्ड स्तर पर चयन समिति सभी लाभार्थियों के प्रस्ताव पर विचार कर अन्तिम चयन सूची तैयार करेगी।

(द) पशु क्रय समिति :–

1. संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2
2. पशुधन प्रसार अधिकारी
3. लाभार्थी

(य) लागत प्रति इकाई :–

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	बकरी पालन		भेड़ पालन		गौपालन	
	विवरण	धनराशि	विवरण	धनराशि	विवरण	धनराशि
1	दस मादा बकरियों का क्रय मूल्य	45000	दस मादा भेड़ों का क्रय मूल्य	45000	दुधारू ग्राय (चतुर्थ व्यात या उसस कम व्यात) का क्रय मूल्य	30000
2	एक नर बकरे का क्रय मूल्य	6000	एक नर मेढ़े का क्रय मूल्य	6000	दो माह हेतु दाना क्रय पर व्यय	3000
3	पशु यातायात एवं पशु बीमा पर व्यय	11000	पशु यातायात एवं पशु बीमा पर व्यय	11000	पशु यातायात एवं पशु बीमा पर व्यय	7000
4	बकरियों हेतु बाड़ा निर्माण हेतु सहायता	8000	भेड़ बाड़ा निर्माण हेतु सहायता	8000	––	00.00
योग		70000		70000		40000
सरकार का अंश		63000		63000		36000
लाभार्थी अंश		7000		7000		4000

(ल) पशु क्रय :–

यदि विभागीय प्रक्षेत्रों अथवा यू०एल०डी०बी० के प्रक्षेत्रों में पशु संख्या से अधिक उपलब्ध हों तो योजनान्तर्गत पशुपालक को सर्वप्रथम विभागीय अथवा यू०एल०डी०बी० के प्रक्षेत्रों से पशु उपलब्ध कराया जायेगा। विभागीय अथवा यू०एल०डी०बी० के प्रक्षेत्रों पर पशु उपलब्ध न होने पर पशुओं का क्रय स्थानीय प्रगतिशील कृषकों से किया जायेगा। यदि स्थानीय तौर पर अच्छा पशु उपलब्ध न हो तो प्रदेश के अन्य जनपदों से पशु क्रय किये जायेंगे। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को लगभग 10 से 14 माह की क्रासब्रीड बकरियाँ व बकरा/भेड़ व मेढ़ा/चतुर्थ या उससे कम व्यात की दुधारू गाय उपलब्ध करायी जायेगी। पशुओं का क्रय लाभार्थी एवं क्रय समिति द्वारा प्रदेश एवं आवश्यकतानुसार किया जायेगा। क्रय से पूर्व पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण अवश्य किया जायेगा तथा संबंधित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पशु क्रय स्थल पर पशु के पूर्ण स्वस्थ होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

(र) पशु बीमा :–

योजनान्तर्गत क्रय किये गये पशु का तीन वर्ष हेतु बीमा किया जायेगा। पशु बीमा क्रय स्थल पर ही संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित बीमा कम्पनी से कराया जायेगा।

3. कृपया बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन एवं अनुदान दिये जाने हेतु उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० रणवीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–1717 (1)/XV-1/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
अनु सचिव

संख्या– 924 /XV-1/2016/1(15)16

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में महिला बकरी पालन योजना राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने संबंधीं दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में महिला बकरी पालन योजना अन्तर्गत परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किये जाने हेतु एक इकाई जिसमें 03 बकरी तथा एक बकरा 100 प्रतिशत अनुदान पर वितरित की जायेगी।

2. महिला बकरी पालन योजना के सफल संचालन हेतु लाभार्थियों का चयन, चयन प्रक्रिया, पशु क्रय, पशु क्रय समिति, पशु बीमा, प्रति इकाई लागत निम्नानुसार निर्धारित होगीः–

(अ) लाभार्थियों के चयन हेतु समिति :–

1. विकासखण्ड स्तर का पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1
2. संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2/पशुधन प्रसार अधिकारी।
3. खण्ड विकास अधिकारी अधिकारी द्वारा नामित सहायक समाज कल्याण अधिकारी।

(ब) चयन की प्रक्रिया.

संबंधित क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी संबंधित ग्राम में व्यापक प्रचार–प्रसार करके महिला लाभार्थियों के चयन हेतु एक तिथि निर्धारित करेंगे। निर्धारित तिथि को ग्राम में ग्राम प्रधान व स्थानीय निकाय अथवा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की उपस्थिति में पशु चिकित्साधिकारी व पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा बैठक करके ग्राम स्तर पर महिला लाभार्थियों का चयन करेगें व सूची सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। विकासखण्ड स्तर पर चयन समिति में सभी महिलाओं के प्रस्ताव रख कर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। योजना सभी वर्ग की महिला लाभार्थियों हेतु उपलब्ध है। योजना का लाभ **First come First Serve** के आधार पर दिया जायेगा। राज्य सरकार की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित महिला लाभार्थियो का चयन योजनान्तर्गत नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्राथमिकता परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित, अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभावित महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

(स) कौशल वृद्वि/प्रबन्धन प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार क्रियान्चयन एवं अनुश्रवण

चयनित महिला लाभार्थियों के कौशल वृद्वि, बकरी पालन प्रबन्धन में प्रशिक्षण एवं योजना का दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रचार–प्रसार, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। लाभार्थियों का प्रशिक्षण भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखूदम फरह मथुरा, उत्तर प्रदेश, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड के प्रशिक्षण केन्द्र पशुलोक–ऋषिकेश, भैंसवाड़ा–अल्मोड़ा एवं विकासखण्ड स्तर पर पशुचिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिया जायेगा। यह कार्य उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

(द) लागत प्रति इकाई

धनराशि रू० में

क्र०सं०	व्यय मद	प्रति इकाई लागत
1	03 मादा बकरी का क्रय मूल्य @ 6000	18000.00
2	01 नर बकरे का क्रय मूल्य @ 8000	8000.00
3	पशुशाला मरम्मत/निर्माण,	5000.00
4	पशु यातायात, पशु बीमा फोटो, साईन बोर्ड आदि पर व्यय	4000.00
	कुल योग	35000.00

(य) पशु क्रय समिति

1. संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–1
2. संबंधित क्षेत्र का पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड–2
3. वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि।
4. लाभार्थी।

(र) पशु क्रय

लाभार्थी द्वारा योजनान्तर्गत 12 से 18 माह की बकरियों का चयन कर विक्रेता को चैक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा। क्रय से पूर्व बकरियों का चिकित्सकीय परीक्षण अवश्य किया जायेगा तथा संबंधित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशु क्रय स्थल पर पशु के पूर्ण स्वस्थ होने संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक होगा। पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के अंतर्गत परिवहन हेतु उपयुक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। पशु क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या–1009/XV-1/11/1(4)12 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 द्वारा पशु क्रय हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(ल) पशु बीमा

संबंधित पशु चिकित्साधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत क्रय किये पशु का क्रय स्थल पर ही निर्धारित बीमा कम्पनी से तीन वर्ष हेतु पशु बीमा व परिवहन बीमा करवाया जायेगा।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त योजनान्तर्गत कुल 120 इकाईयों की स्थापना की जायेगी।

4. योजनान्तर्गत क्रय की गई बकरियों को 03 वर्ष तक लाभार्थी द्वारा विक्रय नहीं किया जायेगा तथा बकरियों की मृत्यु होने पर संबंधित/नजदीकी पशुचिकित्साधिकारी से निरीक्षण कराकर प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा, ताकि योजना के दुरूपयोग को रोका जा सके।

5 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–69(P)/XXVII/2016 दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव

संख्या– (1)/XV-1/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग।
8. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कै०आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव